न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉं आर.ए.एस.

अपील संख्या 212/2021
आरसीएमएस नं0 2021/212
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955

1. कृष्णलाल
2. जयमल
3. भूपराम
4. मनफूलराम

पिसरान स्व0 दलूराम जाति जाट साकिन जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

5. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 प्रेम कुमार जाति जाट साकिन पीलीबंगा
6. प्रवीन कुमार पुत्र पृथ्वीराज तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

बनाम

1. रजीराम
2. भूपराम

पिसरान हरीराम

3. औमप्रकाश पुत्र सुखराम
4. हनुमान
5. भजनलाल
6. बलराम
7. जगदीश
8. महावीर
9. राजेन्द्र

पि0 रतीराम

10. परमेश्वरी देवी पत्नी हरीराम
11. गुड्डी देवी पुत्री हरीराम
12. मीरां देवी पुत्री हरीराम
13. कैलाश देवी पुत्री हरीराम

(उपरोक्त सभी) जाति जाट साकिन जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

14. लक्ष्मी पुत्री हरीराम
15. शकुन्तला देवी पत्नी स्व0 धर्मपाल पुत्र स्व0 हरीराम
16. नीतू पुत्री स्व0 धर्मपाल पुत्र स्व0 हरीराम

जाति जाट साकिन जाखड़ांवाली, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

17. सावित्री पत्नी स्व0 दलूराम जाति जाट साकिन 12 एसपीडी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
18. विमला देवी पुत्री स्व0 दलूराम
19. बसकरो पुत्री स्व0 दलूराम
20. तुलछी देवी पत्नी स्व0 स्व0 प्रेम कुमार
21. कमला देवी पुत्री स्व0 प्रेमकुमार
22. राणी देवी पुत्री स्व0 प्रेमकुमार
23. राजबाला पुत्री स्व0 प्रेमकुमार
24. बिरमा देवी पत्नी स्व0 प्रेमकुमार
25. पूजा पुत्री स्व0 पृथ्वीराज पुत्र स्व0 प्रेमकुमार
26. प्रियंका पुत्री स्व0 पृथ्वीराज पुत्र स्व0 प्रेमकुमार
27. बाधु देवी पत्नी स्व0 सुखराम
28. मन्जू पुत्री स्व0 सुखराम
29. सुमन पुत्री स्व0 सुखराम
30. शारदा पुत्री स्व0 सुखराम
31. शिमला पुत्री स्व0 रतीराम
32. कृष्णा देवी पुत्री स्व0 रूकमा पुत्री लालूराम
33. जगदीश पुत्र स्व0 रूकमा पुत्री लालूराम
34. बलराम पुत्र स्व0 रूकमा पुत्री लालूराम
35. सेठी पुत्री स्व0 रूकमा पुत्री लालूराम
36. शंकरलाल पुत्र स्व0 रूकमा पुत्री लालूराम
37. मन्जू पुत्री स्व0 रूकमा पुत्री लालूराम
38. भूपचन्द प्रत्र स्व0 रूकमा पुत्री लालूराम
39. सन्तलाल पुत्र स्व0 रूकमा पुत्री लालूराम
40. चैना पुत्री स्व0 रूकमा पुत्री लालूराम

जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

41. सजना पुत्री रामचन्द्र
42. सावित्री पुत्री रामचन्द्र

जाति जाट साकिन 6 बीएचएम जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

43. कालूराम पुत्र रामचन्द्र 44. महेन्द्र पुत्र रामचन्द्र 45. कृष्णा पुत्री रामचन्द्र	जाति जाट साकिन 6 बीएचएम जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
46. मन्जू पुत्री रामचन्द्र 47. रेवन्ती पुत्री रामचन्द्र 48. मीरां पुत्री रामचन्द्र 49. कृष्ण लाल पुत्र रामचन्द्र 50. राधाकृष्ण पुत्र रामकरण 51. आत्माराम पुत्र रामकरण 52. निर्मला देवी पुत्री रामकरण	जाति जाट साकिन 6 बीएचएम जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ

53. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा
54. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.07.2021

द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

प्रकरण संख्या 01/2019 बअनवान रजीराम आदि बनाम परमेश्वरी आदि

श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री अजय सिह चौहान अधिवक्ता रेस्पेडेण्ट संख्या 1 से 51

श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 53 व 54

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक:— 29.08.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट रजीराम वगैरह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें वाद पत्र में वर्णित चक 3 बीएचएम व चक 4 बीएचएम तथा चक 31 एनडीआर में वर्णित रकबा को वादीगण के दादा लालूराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

व प्रतिवादी संख्या 34 से 44 के दादा चेतन जो सगे भाई थे के नाम दर्ज होना बताया। उनके देहान्त के बाद दफा 4 व 5 में वर्णित रकबा उनके वारिसों के नाम से विरास्तन इन्तकाल हो गया तथा वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित रकबा के चेतन के वारिसों का विरासतन इन्तकाल दर्ज हो गया जबकि वादीगण के दादा लालूराम के वारिसों का विरास्तन इन्तकाल दर्ज नही हुआ। प्रश्नगत भूमि का आपस में घरू बंटवारा किया हाने आदि का कथन करते हुए वादपत्र की दफा 8 'क–घ' में वर्णित रकबा के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से खाता तकसीम करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल दावा पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री कतई गलत, विधि विरूद्ध शुन्य एवं एकतरफा पारित की है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो कि राजीनामा के कतई विरूद्ध पारित की गई है। मुताबिक राजीनामा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट कृषि भूमि पर काबिज काश्त है के विरूद्ध जारी की गई हौ जो काबिल खारिज है। अपीालधीन निर्णय व डिक्री में पूर्व में हुए राजीनामा चेतनराम, लालूराम के वारिसों में हुए बंटवारे के विरूद्ध पारित की गई है जो काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलाण्ट को 0.195 है0 कृषि भूमि जो कि अपीलांट सं0 1 ता 4 को 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. व अपीलाण्ट सं0 5, 6 को 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. मुताबिक राजीनामा प्राप्त होनी थी को नजर अंन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट अपने हिस्सा की भूमि लगातार काश्त करते आ रहे हैं। इस अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की हमें सूचना व जानकारी थी परन्तु हिस्सा कसी का ज्ञान न होने के कारण रेस्पोडेण्ट सं0 50, 51, 52 के पिता रामकरण के नाम चक 3 बीचएचएम–बी की 5.870 है0 में से 0.195 है0 भूमि निर्णय व डिक्री में यथावत रखने की जानकारी अपीलाण्ट को हुई। उससे पहले अपीलाण्ट को हिस्सा कसी का ज्ञान नहीं था पूर्व में हुए बंटवारा के अनुसार अपीलाण्ट की कृषि भूमि प्राप्त नही हुई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 51 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय उभयपक्षों की सहमति के उपरान्त उभयपक्ष के सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट की जितनी भूमि थी उतनी भूमि उसे दे दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्त ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अपीलाण्ट द्वारा प्रसतुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।
8. जहां तक गुणाावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 एवं 88 आरटीएक्ट का था जो मुताबिक सहमति स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में पूर्व में हुए राजीनामा चेतनराम, लालूराम के वारीसों में हुए बंटवारे के विरूद्ध जारी की गई है। अपीलांट को 0.195 है0 कृषि भूमि जो कि अपीलाण्ट सं0 1 ता 4 को 1/2 हिस्सा ब0हि0ब0 व अपीलाण्ट संख्या 5, 6 को 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. मुताबिक राजीनामा प्राप्त होनी थी को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। हिस्सा कसी की गलती होने के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 50, 51, 52 के पिता रामकरण के नाम चक 3 बीएचएम –बी की 5.870 है0 में से 0.195 है0 कृषि भूमि अपीलाधीन निर्णय में यथावत रख दी गई है संशेाधित की जानी उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में संशोधिन किया जाना उचित है।
9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए रेस्पोडेण्ट सं0 50 ता 52 के पिता रामकरण के नाम यथावत रखी 0.195है0 कृषि भूमि के अपीलाट सं0 1 ता 4 को 1/2 हिस्सा ब.हि.ब व अपीलाण्ट सं0 5, 6 को 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार कातश्कार घोषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

का शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.8.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/8/22
(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)